



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग



6वा, 7वा, एवं 8वा तल, टावर-बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029

वेबसाइट: www.cercind.gov.in

सत्यमेव जयते

याचिका सं.347 / टीएल / 2024

दिनांक: 4.12.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

टुमकुर-॥ आरईजेड पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, दूसरी मंजिल, नोवस टावर, प्लाट नंबर 18, सेक्टर-18, गुरुग्राम-122015, हरियाणा द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर "राजस्थान आरईजेड पीएच-IV (भाग-2: 5.5 जीडब्ल्यू) (जैसलमेर / बाड़मेर कॉम्प्लैक्स) भाग घ से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" हेतु अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14, 15, 79(1)(ड) के अधीन आवेदन किया गया है:

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रमाणी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी
1.	<p>व्यावर-मंदसौर पीएस 765 केवी डी / सी लाइन के साथ प्रत्येक छोर पर प्रत्येक सर्किट के लिए 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर</p> <ul style="list-style-type: none"> व्यावर पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर -2 नंबर मंदसौर पीएस पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर -2 नंबर व्यावर पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के लिए स्विचिंग इविंपमेंट -2 नंबर मंदसौर पीएस पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के लिए स्विचिंग इविंपमेंट -2 नंबर 765 / 400केवी व्यावर एस/एस पर स्पेयर रिएक्टर (1-पीएच, 1x80 एमवीएआर) यूनिट 	एसपीवी अधिग्रहण से 24मास
2.	<p>व्यावर एस/एस और मंदसौर एस/एस प्रत्येक पर 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर</p> <ul style="list-style-type: none"> 765केवी लाइन बे -4 नंबर (व्यावर एस/एस और मंदसौर पीएस प्रत्येक पर 2 नंबर) 	

नोट:

- (i) मंदसौर पीएस के विकासकर्ता को स्विचेबल लाइन रिएक्टर के लिए स्थान के साथ मंदसौर एस/एस पर 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर के लिए स्थान उपलब्ध करवाना होगा।
- (ii) व्यावर एस/एस के विकासकर्ता को स्विचेबल लाइन रिएक्टर के लिए स्थान के साथ व्यावर एस/एस पर 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर के लिए स्थान उपलब्ध करवाना होगा।
- (iii) स्विचेबल लाइन रिएक्टरों को एनजीआर बाईपास व्यवस्था के साथ कियान्वित किया जाएगा।
- सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 18.10.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए पारेषण अनुज्ञाप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
- रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 347 / टीएल / 2024 में दिनांक 3.12.2024 के आवेदन द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञाप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
- टुमकुर-॥ आरईजेड पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञाप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.grptl.com पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
- नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञाप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 13.12.2024 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आयोग द्वारा दिनांक 16.12.2024 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

(हरप्रीत सिंह प्रूथी)
सचिव